

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 9 जुलाई, 2013

का.आ 2262(अ).- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश द्वारा संख्यांक 3251(अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 द्वारा लक्षद्वीप जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन तीन वर्ग की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3251(अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 20 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रशासक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	अध्यक्ष
2.	सचिव, पर्यावरण और पर्यावरण विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य
3.	उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य
4.	अधीक्षण इंजीनियर, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	डा. के.वी. थामस, वैज्ञानिक, भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र तिरुअनंतपुरम	सदस्य
6.	डा. एम. वेफर, वैज्ञानिक, रा-ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा	सदस्य
7.	मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
8.	मत्स्य निदेशक, लक्षद्वीप प्रशासन	सदस्य
9.	सदस्य सचिव, लक्षद्वीप प्रदू-ण नियंत्रण समिति	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए रा-द्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दि-ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दि-ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश रा-द्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशि-ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए रा-द्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना;

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, रा-द्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट किए जाएं ।
4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दि-ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।
5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दि-ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
7. प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी रा-ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।
8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दि-ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।
10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार रा-ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।
12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
13. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारत्ती में स्थित होगा ।
14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दि-टतः न आने वाला कोई वि-य संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 12-3/2005-आईए-III]

(मनिन्दर सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary,

Part – II, Section 3, Sub-section (ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the July 9, 2013

S.O. 2262(E)- WHEREAS by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 3251(E), dated the 21st December, 2009, the Central Government reconstituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

AND WHEREAS, the central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 3251(E), dated the 21st December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period up to 20th December 2013, namely:-

1	Administrator, Union territory of Lakshadweep.	Chairman
2	Secretary, Department of Environment and Forests, Union territory of Lakshadweep.	Member
3	Deputy Conservator of Forests. Union territory of Lakshadweep.	Member
4	Superintending Engineer, Lakshadweep Public Works Department.	Member
5	Dr. K.V Thomas, Scientist, Centre for Earth Science Studies, Thiruvanthapuram.	Member
6	Dr. M. Wafer, Scientist, National Institute of Oceanography, Goa.	Member

7	Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Ministry of Surface Transport, Port Blair or his representative.	Member
8	Director of Fisheries, Lakshadweep Administration.	Member
9	Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee.	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely: —

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep Union territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority, as the case may be.

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made there under or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii);

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the Union Territory Lakshadweep, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate the area-specific management plans for such identified areas.
6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
7. The Authority shall maintain a Bank account in a nationalized Bank to deposit funds or fees received from the Administration of Union Territory, funding agencies or project authorities etc.
8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.
10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.
12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
13. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.
14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-3/2005-IA-III]

Maninder Singh
Joint Secretary to the Government of India